# जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद।

(जिला निर्वाचन शाखा)

(Phone No.:-0326-2312412, E-mail: electiondhanbad@gmail.com)

## दिनांक 10.03.2018 को प्रकाशित निविदा में भाग लेने वाले निविदाताओं के Deposit at Call receipt (बैंक गारंटी) के संबंध में सूचना।

सभी अधिसूचित बैंकों के **Deposit at Call** receipt (बैंक गारंटी) निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकार की जाएगी।

(I) बैंक द्वारा सत्यापित किया जाएगा कि राशि की निकासी निविदा स्वीकार करने वाले पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–उपायुक्त, धनबाद के द्वारा या उनके अनुमोदन के पश्चात् ही किया जा सकेगा। संबंधित बैंक द्वारा इस आशय का बैंक गारण्टी आवश्यक होगा कि जमानत स्वीकार करने वाले पदाधिकारी के द्वारा निकासी आदेश अथवा हस्ताक्षरित ट्रेजरी चालान प्राप्त होने पर राशि संबंधित कोषागार में जमा कर दी जाएगी तथा चालान रसीद उन्हें भेज दिया जाएगा।

(II) निविदादाता द्वारा वचन पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा कि बैंक में जमा (निवेश) में निहित जोखिम अथवा डिप्रीशिएशन का उत्तरदायी वह स्वयं होगा।

(III) जमानत स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा बैंक को लिखित अनुमति देने के उपरान्त ही निविदादाता को बैंक से सूद का भुगतान किया जाएगा।

(IV) जमानत स्वीकार करने वाले प्राधिकारी यह सुनिश्चित् करेगा कि बैंक गारंटी अद्यतन है, तत्पश्चात् ही संविदा किया जा सकेगा।

(V) जमानत स्वीकार करने वाले प्राधिकारी की बैंक में जमा राशि तथा उसके सूद के सम्बंध में जवाबदेही समाप्त हो जाएगी, जब जमानतदाता को ठेके के प्रसंग में अन्तिम भुगतान आदेश निर्गत कर दिया गया हो तथा संबंधित बैंक को इसकी सूचना दे दी गयी हो।

(VI) बैंक गारण्टी के द्वारा जमानत की सुविधा निजी व्यक्तियों को अनुमान्य नहीं होगा। यह सुविधा कंपनी, फर्म, लोक उपक्रम को अनुमान्य होगा।

16/3/18